ई-मेल/आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चतुर्थतल सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

संख्या-18-233(एस0आई0 लिपिक)-2024 दिनांकःलखनऊःमार्च 07 2024

सेवा मे,

1.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3.समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।
6.समस्त सेनानायक पीएसी वाहिनी उ0प्र0।

विषयः भर्ती/चयन वर्ष 2024-2025 (01-07-2024 से 30-06-2025) की सम्भावित रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) से पुलिस निरीक्षक (लिपिक) पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही हेतु अद्यावधिक चरित्र पंजिका, 48 बिन्दु के निर्धारित नवीन बोर्ड प्रपत्र-15 में त्रुटिरहित सूचना एवं स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या-संख्या-18-233(एस0आई0-लिपिक)-2023 दिनांक 11-07-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 582 कार्मिकों की निर्विवाद वरिष्ठता सूची अद्यावधिक कर उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http//uppolice. gov.in में 'Police Units-Police Hqrs -PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर **upload** कर, पदोन्नति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

2. दिनांक 11-07-2023 को प्रकाशित पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की अन्तिम वरिष्ठता सूची में से पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्राप्त, सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, मृत, पदच्युत इत्यादि पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) का नाम पृथक करते हुए सेवाभिलेख अद्यावधिक करते हुये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र में सूचना तैयार कर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया दिनॉक 11.07.2023 को प्रकाशित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के 582 कार्मिकों की सूची में से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्राप्त, सेवानिवृत्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त, मृत, पदच्युत कार्मिकों का नाम पृथक करते हुए **पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 50 कार्मिकों** की सूची संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। **संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों की नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो संबंधित जनपद/इकाई का यह दायित्व होगा कि वह उस जनपद/इकाई को संबंधित कर्मी** की चरित्र पंजिकाओं को अद्यावधिक कराने, निर्धारित नवीन बोर्ड प्रपत्र-15 के 48 कालम में सूचनायें त्रुटि रहित अंकित कराने के साथ ही स्वघोषणा पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही दिनांक 31.03.2024 तक निम्नानुसार पूर्ण कराने का कष्ट करें:-

(1) चयन वर्ष 2024-25 के सापेक्ष पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के सेवा अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 01-07-2024 होगी। चयन वर्ष 2024-25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023 तक) के वार्षिक मन्तब्य अंकित होना अनिवार्य है।

(2) चयन वर्ष 2024-25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023 तक) में सत्यनिष्ठा अंकित करना अनिवार्य है। दीर्घ दण्ड नियम 14(1) पोषक पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से सेवाभिलेख उपलब्ध कराने की तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है। लघु दण्ड नियम 14(2) पोषक पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से सेवाभिलेख उपलब्ध कराने की तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

Scanned with OKEN Scanner

(3) कार्मिक के विरूद्ध पंजीकृत किसी भी आपराधिक अभियोग में प्रेषित आरोप पत्र संख्या, अन्तिम रिपोर्ट संख्या के साथ माननीय न्यायालय में प्रेषित किये जाने की तिथि तथा माननीय न्यायालय में नियत अग्रिम तिथि अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि अभियोग विवेचनाधीन है तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(4) बोर्ड प्रपत्र में सभी हस्ताक्षरकर्ता के नाम/पदनाम/हस्ताक्षर मुहर दिनांक सहित अंकित होना अनिवार्य है।

(5) पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के कार्मिकों का बोर्ड प्रपत्र तैयार करते समय चेक लिस्ट को अवश्य ध्यान में रखा जाय, जिससे निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार नवीन बोर्ड प्रपत्र त्रुटि रहित तैयार हो सके और सेवाभिलेख एवं बोर्ड प्रपत्र इस मुख्यालय के परीक्षणोपरान्त पुनः उसे सही करने हेतु वापस करने की सम्भावना लेशमात्र न रहे।

(6) नवीन बोर्ड प्रपत्र–15 में सूचनाएं ए–3 साइज के पेपर (29.7 X 42.2 CM) पर तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र–15 में सूचनाएं लायी जाती है तो वह किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी। बोर्ड प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश संलग्न किया जा रहा है, उसमें दिये गये निर्देशों का भलीभॉति परिशीलन कर बोर्ड प्रपत्र तैयार किया जाये।

4. पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की संलग्न सूची में अपने–अपने जनपद/इकाई में नियुक्त कार्मिकों के नाम एवं पीएनओ नम्बर का भली भांति परीक्षण कर ले। यदि कोई त्रुटि हो तो उससे इस मुख्यालय को अभिलेखों की पुष्टि हेतु सूचना प्रेषित करें, ताकि वरिष्ठता सूची में इसे अद्यावधिक किया जा सके।

5. जैसा कि आप सभी अवगत है कि उ0प्र0 शासन की अपेक्षा के अनुरूप प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाना है।

6. अतएव आप सभी से अनुरोध है कि निर्गत किये जा रहे दिशा निर्देश एवं चेक लिस्ट के अनुसार अपने पर्यवेक्षण में अपेक्षित कार्यवाही दिनांक 31.03.2024 तक प्रत्येकदशा में पूर्ण कराने का कष्ट करें, जिससे समस्त सूचनायें एवं अभिलेख मांगे जाने पर अल्प अवधि में इस मुख्यालय को उपलब्ध हो सके।

संलग्नकः–

1–नवीन बोर्ड प्रपत्र–15 का प्रारूप।
2–बोर्ड प्रपत्र–15 भरने के संबंध में दिशा–निर्देश
3–संलग्नक की चेक लिस्ट

7/3/24

(सुरेन्द्र नाथ तिवारी)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।
O/C
07/03/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–
1.अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2.जनरल स्टाफ आफिसर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

07/3/2024

9/3/24

11/3/24

Scanned with OKEN Scanner

बोर्ड प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

महत्वपूर्ण–"बोर्ड प्रपत्र–15 को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाये।

बोर्ड प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में निर्देश

कालम

1	इस कालम में क0सं0 अंकित की जायेगी। कम संख्या आरोही कम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित अन्तिम ज्येष्ठता सूची का कमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम को रिक्त रखा जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 नम्बर अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरण पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक)
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्म तिथि अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में सेवाभिलेखों के अनुसार अभ्यर्थी के पोषक पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि अंकित की जायेगी।
12 13 14	इस कालम में सेवा अवधि का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई 01–07–2024 को अभ्यर्थी की **पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक)**पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर चयन वर्ष 2024–25 के लिए कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी तथा वर्ष, माह एवं दिन अंकित किया जायेगा।
15 16 17 18	इस कालम में भर्ती/रिक्ति का वर्ष 2024–25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023 तक) के वार्षिक मन्तब्यों का वर्ष, अवधि एवं वार्षिक मन्तब्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। 05 वर्ष तक के गोपनीय मन्तब्य पूर्ण होने चाहिए किसी भी वर्ष में "अंकित नहीं" का उल्लेख स्वीकार नहीं होगा। उदाहरणार्थः– यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2019 का वार्षिक गोपनीय मन्तब्य अलग–अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगाः– 2019 01–01–2019 से 30–04–2019 अति उत्तम 01–05–2019 से 31–12–2019 अच्छा
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्शिक गोपनीय मन्तब्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्राप्त होने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
21	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित अंकित किया जायेगा। जैसे लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत
22	इस कालम में चयन वर्ष 2024–25 के पूर्ववर्ती 05 वर्षों (2019 से 2023) भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों की सत्यनिष्ठा का निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगीः– प्रमाणित, अप्रमाणित, अथवा रोकी गई। "अंकित नहीं" का उल्लेख स्वीकार नहीं होगा।
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्राप्त होने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित अंकित की जायेगी। जैसे लम्बित, अस्वीकृत, स्वीकृत
26	इस कालम में दीर्घ दण्ड से सम्बन्धित दण्डादेश संख्या अंकित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

27	इस कालम में दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इस कालम में दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
29	इस कालम में दण्डादेश की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे सेवा से पदच्युत करना, सेवा से हटाना, तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति आदि
30	इस कालम में लघु दण्ड से सम्बन्धित दण्डादेश संख्या अंकित किया जायेगा।
31	इस कालम में दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
32	इस कालम में दण्डादेश कर्मी को संसूचित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
33	इस कालम में दण्डादेश की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि, अस्थाई रूप से कितनी अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकी गयी आदि
34	इस कालम में पूर्व में किस–किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। इस कालम में गलत सूचना का अंकन नहीं करना है, यदि जनपद/इकाई के पास सूचना उपलब्ध न हो तो इस कालम को रिक्त रखा जायेगा तथा चरित्र पंजिका लिपिक द्वारा सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराते समय स्थापना शाखा के अनुभाग–18 में सम्बन्धित सहायक से समन्वय स्थापित कर सही–सही सूचना का अंकन किया जायेगा।
35	इस कालम में निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः न–242/2019 दिनांक 25–08–2019
36	इस कालम में निलम्बन का कारण संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
37	इस कालम में अभ्यर्थी को बहाल किये जाने का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा।
38	इस कालम में मुकदमा अपराध संख्या, धारा, थाना, जनपद अंकित जायेगा। उदाहरणार्थ– मु0अ0सं0–545/2004 धारा 223/224 भा0द0वि0 थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ नगर
39	इस कालम में आरोप पत्र संख्या व आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
40	इस कालम में अभियोग की अद्यतन स्थिति व अभियोग में यदि माननीय न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया गया जायेगा। उदाहरणार्थ–वाद माननीय न्यायालय एडीजे–5, लखनऊ के यहाँ एस0टी0 नम्बर–544/1998 पर विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 15–04–2024 नियत है।
41	इस कालम में नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही जाँच संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे विभागीय, सीबीसीआईडी, सीबीआई, एसीओ आदि
42	इस कालम में आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ–अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।
43	इस कालम में अभ्यर्थी को नियम 14(1) की विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
44	इस कालम में अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय, अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित) आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)
45	इस कालम में अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग के विवेचनाधीन होने/अन्तिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय, अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित) परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक
46	इस कालम में स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना
47	विभागीय चयन समिति द्वारा अंकित किया जायेगा।
48	इस कालम में जिन कार्मिकों का पूर्व चयन वर्ष में संस्तुति मुहरबन्द लिफाफा में रखी गयी है का विवरण चयन वर्ष सहित अंकित किया जायेगा। उदाहरणः– चयन वर्ष 2015 की सुरक्षित रिक्ति के सापेक्ष मुहरबन्द लिफाफा

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य निर्देश

1– प्रत्येक कालम में स्पष्ट रूप से सूचना भरी जायेगी। यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जायेगा।

2– उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kurti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जायेगी।

3– एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Line/Cells को Merge न किया जाये।

4– एक ही Cells में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

5– उपर्युक्त सूचनायें मात्र बोर्ड प्रपत्र को भरने के लिये मार्ग दर्शन हेतु हैं।

6– एक पृष्ठ पर एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जायेगी।

7– अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– विगत में यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तब्य पूर्ण नहीं पाये गये व 02 या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तब्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये है अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तलिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्ति कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन स्थिति अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पडते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकाएं/विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

9– कर्मियों के विरूद्ध अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा "ओवर लुक" हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिकों से स्वघोषित घोषणा पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति के साथ स्वघोषणा पत्र में अंकित करा लिया जाय। स्वघोषणा पत्र का प्रारूप संलग्न है।

10– यदि स्वघोषणा पत्र में सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र के निर्धारित कालम में किया जायेगा।

11– जिन कार्मिकों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत है, सम्बन्धित कालम में मु0अ0सं0, धारा, थाना एवं जनपद का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये तथा आरोप पत्र संख्या व माननीय न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक व माननीय न्यायालय में नियत अग्रिम तिथि का सम्बन्धित कालम में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

12– सम्बन्धित कार्मिकों की चरित्र पंजिका में निलम्बन के पेज को चेक कर लिया जाये तथा निलम्बन अवधि का निस्तारण कराकर उसका अंकन तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चस्पा किया जाये तथा चरित्र पंजिका में अंकित टिप्पणी को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

13– जिन कार्मिकों की चरित्र पंजिका से दण्डादेश विलोपित किये गये हैं, चरित्र पंजिका के सम्बन्धित पेज पर अंकन कर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा तथा दण्ड विलोपित किये जाने के आदेश की प्रति चस्पा किया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक की चेक लिस्ट

नोटः– निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियॉं उपलब्ध करायी जायेः–

1– अभियोग पंजीकृत होने की दशा में कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तगण/कर्मी का नाम/पीएनओ नम्बर/ तैनाती सहित) आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या–39 में किया जाय।

2– विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।

3– दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।

4– बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तब्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्क्रम में जनपद स्तर पर पारित आदेशों की प्रति।

5– यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षो में कर्मी के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तब्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।

6– कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।

7– विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख न किये जाये।

8– विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल–फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

9– प्रतिकूल मन्तब्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या–19, 20, 21 में किया जाये।

10– यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तब्य के विरूद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तब्य प्रतिकूल नहीं माना जायेगा।

11– यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है बल्कि प्रचलित जॉच के चलते प्रविष्टि आस्थगित (Defer) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति को संस्तुति सहित समक्ष अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

12– कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4/2022/13(4)2021/का–1–2022 दिनांक 06–05–2022 के प्रस्तर 6 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने की पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप (क) स्वघोषणा पत्र

मैं शपथ कर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)..पुत्र श्री.. निवासी ग्राम–...................................थाना.....................................जनपद................................ वर्तमान में (जनपद/इकाई)..में नियुक्त पुलिस **उपनिरीक्षक(लिपिक)** के पद पर नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि :–

(1) मेरे विरूद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई................................ ....में विभागीय कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक.. को आरोप पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0..धारा... ....थाना.................................जनपद..................................में लम्बित है, जिसमें दिनांक........ ....को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी ....द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेशित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में ....स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम...

पदनाम...

पीएनओ...

नियुक्ति स्थान एवं दिनांक.........

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोटः–स्वघोषणा पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर (1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

बोर्ड प्रापत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की अद्यावधिक सूची

सं0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	गृह जनपद	ASI(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	SI(M) पद पर प्रोन्नति की तिथि	अभ्युक्ति / विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	872358618	गोपाल दास गुप्ता	हरिलाल	HDI	15-01-1965	18-04-1987	इलाहाबाद	01-08-1988	31-03-2016	दि0 17.02.2020 को निरीक्षक (लिपिक) पद पर पदोन्नत हुई है किन्तु कार्यभार ग्रहण नही किया गया है।
2	871020738	महेन्द्र मिश्रा	रामखेर मिश्रा	STP	01-01-1965	01-09-1987	बस्ती	30-10-1989	31-03-2016	दि0 17.02.2020 को निरीक्षक (लिपिक) पद पर पदोन्नत हुई है किन्तु कार्यभार ग्रहण नही किया गया है।
3	902160055	संजीव कुमार श्रीवास्तव	स्व0 श्री प्रहलाद लाल श्रीवास्तव	GZR	02-04-1969	31-07-1990	वाराणसी	16-04-1993	30-03-2020	
4	912460031	उमेश कुमार मिश्र	स्व.राम विलास मिश्र	PAC HQ LKW	28-08-1971	06-02-1991	सीतापुर	15-01-1998	31-03-2016	
5	912010047	महेश चन्द्र यादव	स्व0 रनवीर सिंह	BDN	07-07-1967	26-04-1991	एटा	16-04-1993	31-03-2016	
6	912650300	सुधीर कुमार	स्व0 वीरेन्द्र कुमार	6 BN	20-06-1972	27-11-1991	हरिद्वार	16-02-1995	31-03-2016	
7	922030215	फिरोज खॉ	अब्दुल अजीज खॉ	4 BN	10-01-1972	16-03-1992	प्रतापगढ़	17-02-1995	31-03-2016	
8	922020067	मुकेश कुमार मलिक	ब्रम्हपाल सिंह	BRA ACADEMY	01-01-1967	21-03-1992	मेरठ	17-02-1995	31-03-2016	
9	922510612	श्रीमती पूनम जैन	स्व0 सुदेश कुमार	SPR AGA	09-01-1968	21-03-1992	बागपत	17-02-1995	31-03-2016	
10	922240182	मिथलेश कुमारी	राजपाल सिंह	MPI	15-10-1972	18-06-1992	औरैया	10-11-1996	31-03-2016	
11	922390076	दिनेश पाल सिंह	स्व0 सबल सिंह	PTS JLN	08-12-1967	19-06-1992	आगरा	30-11-1996	31-03-2016	
12	922740031	धर्मेन्द्र पवार	स्व0सुभाष चन्द्र पवार	23 BN	15-06-1973	25-06-1992	मुजफ्फरनगर	08-05-2006	31-03-2016	
13	922020054	हरेन्द्र सिंह	सोनवीर सिंह	GBN	02-07-1966	25-07-1992	बुलन्दशहर	01-12-1998	31-03-2016	
14	920820098	अजय कुमार सिंह सेंगर	राजेन्द्र सिंह सेंगर	LIU CDI	25-08-1972	25-08-1992	जालौन	26-08-1992	31-03-2016	
15	920820102	नरेन्द्र पाल सिंह	शिशुपाल सिंह	LIU AGA	15-08-1969	26-08-1992	अलीगढ	27-08-1992	31-03-2016	
16	922520248	सुरेश कुमार दुबे	स्व0 जुगुल किशोर	48 BN	20-01-1973	29-08-1992	प्रयागराज	29-08-1992	31-03-2016	
17	920820131	रीता पाण्डेय	आशुतोष पाण्डेय	SP R GKR	01-07-1967	01-09-1992	सिद्धार्थनगर	02-09-1992	31-03-2016	
18	921050030	राज बहादुर सिंह	देवी प्रसाद	SHA	08-06-1973	03-09-1992	बरेली	30-11-1996	31-03-2016	
19	922480111	धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय	कृष्णपाल पाण्डेय	AGA	09-04-1970	04-09-1992	एटा	30-11-1996	30-07-2016	
20	920990027	गुंजन अग्रवाल	स्व.घनश्याम दास अग्रवाल	DGP HQ LKW	22-05-1970	04-09-1992	रायबरेली	30-11-1996	31-03-2016	
21	920710007	संजीव कुमार	स्व0 रामफल सिंह	BPT	15-06-1972	05-09-1992	मेरठ	31-11-96	31-03-2016	
22	920550920	देवदत्त	राम प्रसाद	CBCID LKW	01-01-1967	06-09-1992	बुलन्दशहर	30-11-1996	31-03-2016	
23	920671188	अमित कुमार त्रिपाठी	प्रकाश नारायण त्रिपाठी	LKW RURAL	17-02-1972	10-09-1992	कानपुर देहात	10-09-1992	25-02-2021	
24	920650792	श्रीमती मंजू देवरानी	स्व.रामप्रसाद देवरानी	LTP	24-05-1973	22-09-1992	पौढीगढवाल	30-11-1996	31-03-2016	
25	922090022	जगदीश सिंह	स्व0 बंग बहादुर सिंह	27 BN	15-06-1966	09-11-1992	जौनपुर	08-05-2006	31-03-2016	
26	922120129	विनोद कुमार	स्व0 लाखन सिंह	28 PAC	01-07-1972	09-11-1992	एटा	05-01-1998	31-03-2016	
27	920820157	रवि कान्त	कन्हैया लाल	INT HQ	28-08-1966	11-11-1992	लखनऊ	03-12-1994	31-03-2016	
28	922430682	अनिल कुमार पाण्डेय	स्व0 परशुराम पाण्डेय	WPL 1090	08-04-1972	13-11-1992	अम्बेडकरनगर	15-01-1998	31-03-2016	
29	921022147	मनोज कुमार दुबे	दफेदार दुबे	DGP HQ LKW	15-12-1973	13-11-1992	कन्नौज	15-01-1998	31-03-2016	
30	922090136	सतीश चन्द्र राय	स्व0 कृपा शंकर सिंह	BLA	10-01-1973	14-11-1992	वाराणसी	15-01-1998	31-03-2016	
31	922210352	मुनेश	दिनेश कुमार	HPR	15-12-1965	16-11-1992	बागपत	01-12-1998	31-03-2016	
32	920601152	निर्मल सिंह	राज कुमार सिंह	STR	25-07-1972	16-11-1992	बहराइच	15-01-1998	31-03-2016	
33	920790148	गोपाल जी	राधा कृष्ण राम	PRJ	07-07-1974	23-11-1992	गाजीपुर	12-08-1994	31-03-2016	
34	922230093	राम सिंह	स्व0 गीतम सिंह	MTA	10-01-1967	25-11-1992	फर्रुखाबाद	15-01-1998	31-03-2016	
35	921110026	श्रीमती विमला दिवाकर	राम दास दिवाकर	CB CID	05-08-1970	28-11-1992	फतेहपुर	01-08-1997	31-03-2016	
36	930020013	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	स्व0 नन्द कुमार श्रीवास्तव	PBH	26-04-1965	29-01-1993	मिर्जापुर	23-04-1993	31-03-2016	
37	932390011	विनय कुमार श्रीवास्तव	श्याम सुन्दर श्रीवास्तव	DGP HQ LKW	05-07-1973	02-02-1993	फतेहपुर	15-01-1998	31-03-2016	
38	932730088	अजय कुमार वर्मा	स्व0 वैजनाथ वर्मा	JSI	08-12-1973	11-02-1993	कानपुरनगर	15-01-1998	31-03-2016	
39	930140018	अवधेश कुमार यादव	स्व.राम अधार यादव	PHQ LKW	01-07-1967	12-02-1993	गाजीपुर	23-04-1993	31-03-2016	
40	930280028	सुशील कुमार श्रीवास्तव	स्व. गंगेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	PAC SECTOR VNS	01-07-1969	12-02-1993	बलिया	23-04-1993	31-03-2016	
41	932300054	ज्ञान प्रकाश सिंह	स्व0 शिवशंकर सिंह	SVI	05-07-1973	12-02-1993	बलिया	15-01-1998	31-03-2016	
42	932830010	राधाकृष्ण दुबे	स्व0 सन्तराम दुबे	FRZ	11-07-1972	15-02-1993	फर्रुखाबाद	15-01-1998	31-03-2016	

Scanned with OKEN Scanner

	930050016	अजय कुमार सिंह	स्व0 शिव शंकर सिंह	ACO	01-01-1974	15-02-1993	वाराणसी	15-02-1993	31-03-2016	
	930350015	श्रीमती ममता यादव	राम प्रताप यादव	TECHANICAL SARViCE	02-07-1973	16-03-1993	बरेली	23-04-1993	31-03-2016	
45	930380018	श्रीमती मिथलेश कुमारी	विजय बहादुर सिंह	37 BN	01-06-1967	17-03-1993	मैनपुरी	23-04-1993	31-03-2016	
46	931310012	सत्य कुमार	स्व0 राम औतार	DGP HQ LKW	02-09-1966	24-05-1993	लखनऊ	01-12-1994	31-03-2016	
47	930090498	अरूण कुमार सिंह	स्व. श्री बरमेश्वर सिंह	VNS ZONE	25-07-1971	24-05-1993	बलिया	01-12-1994	31-03-2016	
48	932663074	इबादुल हक	स्व0 जावेद हुसैन	T.S HQ LKW	20-10-1973	24-05-1993	लखनऊ	15-01-1998	31-03-2016	
49	932280176	प्रेम चन्द्र राजपूत	राम स्वरूप सिंह राजपूत	FGH	01-12-1967	25-05-1993	मैनपुरी	15-01-1998	31-03-2016	
50	930080019	श्रीमती मंजू शर्मा	स्व. श्री गंगाराम शर्मा	DSP TRG MRT RANGE	10-03-1973	25-05-1993	गाजियाबाद	01-12-1994	31-03-2016	

Scanned with OKEN Scanner

पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता चयन मानदण्ड के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन के लिये निर्धारित बोर्ड प्रपत्र।

प्रपत्र संख्या–15

क्र0 सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	पात्रता सूची का क्रमांक	पी0एन0 ओ0 नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	कैडर	वर्तमान तैनाती		जन्मतिथि	पोषक पद पर भर्ती की तिथि	सेवा अवधि चयन वर्ष 2023 के लिए			वार्षिक गोपनीय मतव्य (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के लिए) इसमें चयन वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक की प्रविष्टियाँ अंकित की जाये			
							जनपद/इकाई	परिक्षेत्र/अनुभाग			वर्ष	माह	दिन	वर्ष	कब से	कब तक	वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

वार्षिक गोपनीय मतव्य (जारी)			सत्यनिष्ठा (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के लिए)				दीर्घ दण्ड–नियम–14(1) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण				लघु दण्ड–नियम–14(2) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण				सम्बन्धित कार्मिक के विषय में दण्डोपरान्त विचारण सम्बन्धी सूचना
खराब, असंतोषजनक, प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य परिणाम सहित															
प्रतिकूल मंतव्य को संसूचित करने की तिथि	प्रत्यावेदन– अपील प्राप्त होने की तिथि	प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित	सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दि0	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्राप्त होने की तिथि	प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित	दण्डादेश की सं0	दण्डादेश का दि0	दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक	दण्ड की प्रकृति (सेवा से पदच्युत करना, सेवा से हटाना तथा पंक्तिच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान या समयवेतन मान में निम्न प्रक्रम पर अवनति	दण्डादेश की सं0	दण्डादेश का दि0	दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड/अस्थाई रूप से कितनी अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है	पूर्व में किस–किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है।
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक तक)			लम्बित अपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है)			विभागीय कार्यवाही नियम– 14(1) के अन्तर्गत				अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग के विवेचनाधीन होने/अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/ अधिकरण के आदेश(स्थगन/ विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित)	स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना	विभागीय चयन समिति के द्वारा अंकित किया जायेगा	जिन कार्मिको का पूर्व चयन वर्ष में संस्तुति मुहरबन्द लिफाफा में रखी गयी है का विवरण
निलम्बन आदेश संख्या/दि0	निलम्बन का कारण(अधिकतम 20 शब्दों में)	बहाली आदेश संख्या, दिनांक	अपराध सं0/धारा/वर्ष/थाना/जनपद	आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दि0	अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दि0	जाँच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में)	कार्मिक के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक			
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

xksiuh;